न्यायालयअतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 263/2024

जीवणराम पुत्र प्रहलादराम व अन्य
बनाम
सुमित्रा पत्नी हड़मानराम वगैरा

दिनांक 26.02.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाप़ (फलौदी) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन/प्रकरण संख्या 311/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी–सुमित्रा व हड़मानराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील बाप के ग्राम कानासर स्थित अपने खातेदारी खसरा नम्बर 1686/1 रकबा 7.0415 हैक्टर भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 03.07.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, तहसीलदार बाप को वादग्रस्त खसरान की विधिवत पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 03.07.2023 अनुसार पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–प्रार्थीया ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री रोशनलाल विश्नोई, रेस्पो0सं0 1 व 2 के अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई एवं रेस्पो0सं0 21 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी एवं अन्य प्रत्यर्थीगण के मध्य माठ को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। जिसमें अपीलार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब में विवादित भूमि तीन गांवों की सरहद पर स्थित होने तथा सरहद में ओवर लेपिंग

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

होना बताया गया। वादग्रस्त भूमि की कभी भी पैमाईश नही की गई है। इसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111 व 128 आरएलआर के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए, बिना तरमीम के आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया। बिना तरमीम के पत्थरगढी/नेखमबंदी नही की जा सकती है, इसके बावजूद राजस्व नक्शें के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश पारित नही किया गया। पत्थरगढी की आड़ में रेस्पो0 कब्जे में परिवर्तन करना चाहते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का उल्लेख नही किया गया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के खसरान के मध्य पक्की माठ बनी हुई है व तारबंदी की हुई है। इसलिए स्थायी सीमा चिन्ह मौजूद होने के कारण कब्जे में परिवर्तन की नियत से पत्थरगढी का आदेश पारित नही किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलौच्य प्रकरण में रेस्पो0 के आवेदन पर तहसीलदार के आदेश की पालना में मौका फर्द दिनांक 3.7.23 के अनुसार प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में वादग्रस्त खसरान की भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश करवायी गई, जिसमें पड़ौसी खातेदार संतुष्ट नही हुए। मौके पर कब्जा व काश्त को लेकर विवाद एवं फसल सुरक्षा हेतु प्रार्थीगण ने अपने खसरान की पत्थरगढी हेतु आग्रह किया गया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट में वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 03.07.23 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए की जाना उचित होना बताया गया। जिसके आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 21 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर आलौच्य प्रकरण में अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

जवाब का विवेचन अपीलाधीन आदेश में नही किया गया है। अपीलांट का कथन है कि फर्द पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 3.7.23 में वादग्रस्त खसरान की सीमाओं का माप अंकन नही है। जवाब वादग्रस्त भूमि दो गांवो की सरहद पर नूरे की भूर्ज एवं कानासर पर स्थित होने का उल्लेख है, जिसके लिए दोनो हल्को के पटवारियों द्वारा निश्चित मुश्तकिल बिन्दु से सभी हितबद्ध खातेदारों की मौजूदगी में माप/सीमांकन किया जाना आवश्यक है। इसका कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नही किया गया है। इस स्थिति में वादग्रस्त खसरान का सीमाकंन/पत्थरगढी दोनों हल्को की संयुक्त टीम द्वारा करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र/प्रकरण संख्या 311/2023 अनवान सुमित्रा व अन्य बनाम जीवणराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2024 यथावत रखते हुए तहसीलदार बाप को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलाधीन आदेश की पालना में वादग्रस्त खसरान दो गांवों की सरहद पर स्थित होने की स्थिति में, दोनों गांवों के हल्का पटवारियों की संयुक्त टीम गठित कर, पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए विधिवत सीमांकन/पत्थगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

निर्णय आज दिनांक 26.2.26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

26/2/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर